


18/8/25

पत्रावली पेश हुई है लगभग उप०। उभय की बस्स  
सुबही गई। मौखिक बस्स। पत्रावली में उपलब्ध  
दस्तावेज। पत्रावली के अवलोकन से प्रा०  
पत्र 07R 11 जोषी के समर्थन में प्रस्तुत  
न्यायिक प्रमाण से वाद हेतु प्रतीत  
नहीं होता है अतः वादी का वाद प्रतिवादी  
से 6 की ओर प्रस्तुत प्रा० पत्र 07R 11 जोषी  
स्वीकार किया जाकर खारिज किया  
जाता है। निस्तृत विधि प्रपत्र से रकीत  
किया जाकर शामिल मिस्त्र किया  
गया। पत्रावली के सल सुमार होकर  
दर्ज नं० से कम होकर सफिल दफ्तर  
है आदेश खुले न्यायालय में सुनाया  
गया।

  
उपखण्ड अधिकारी  
सांभरलेक